भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2668
05 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

केरल में एर्नाकुलम जिले के तटीय क्षेत्रों में समुद्री दीवार का निर्माण

2668. श्री हैबी ईडन:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में एर्नाकुलम जिले के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए समुद्री दीवार के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हाँ, तो सरकार के पास ऐसे कितने प्रस्ताव लंबित हैं और सरकार उनकी स्वीकृति के लिए क्या कदम उठा रही
(ग) एर्नाकुलम जिले के कौन से क्षेत्र ऐसे निर्माण के लिए सरकार के विचाराधीन हैं;
(घ) क्या सरकार द्वारा जलवायु-प्रतिरोधी तटीय गाँवों के अंतर्गत एर्नाकुलम जिले से चुने गए दो तटीय गांवों में कोई विशिष्ट परिवर्तन और 'सुधार अपेक्षित हैं;
(ड़) क्या एर्नाकुलम जिले के इन दो गाँवों के विकास कार्य को पूरा करने की समय सीमा तय कर दी गई है और यदि हाँ, तो कब तक इसके पूर्ण होने की संभावना है;
(च) क्या देश के 100 जलवायु - प्रतिरोधी तटीय गाँवों के लिए आवंटित धनराशि उनके व्यापक विकास के लिए पर्याप्त होगी, और
(छ) यदि हाँ, तो प्रत्येक गाँव के लिए कुल स्वीकृत और आवंटित धनराशि तथा कुल वित्तीय आवंटन कितना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजना प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) में फिशिंग हारबर्स और फिश लैंडिंग सेन्टर्स के निर्माण/विस्तार सहित विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की परिकल्पना की गई है। प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत विकसित फिशिंग हारबर्स और फिश लैंडिंग सेन्टर्स में अन्य बातों के अलावा, ब्रेकवाटर, ट्रेनिंग वाल्स और ग्रॉयन जैसी आवश्यकता आधारित जल और स्थलीय सुविधाएं शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए आश्रय और शांत बेसिन का निर्माण करना तथा खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मछुआरों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त, PMMSY की क्लाइमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजस (CRCFV) पहल के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर कार्यान्वित गतिविधियों के साथ-साथ विकास सुविधाओं में से एक - शॉर्ट ग्रॉयन की स्थापना या किसी भी तकनीकी रूप से उन्नत संरचना जैसे तट संरक्षण कार्यों की परिकल्पना की गई है।

चूंकि मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित मात्स्यिकी विकास योजना के तहत सी वाल्स, ग्रॉयन आदि जैसे स्टैंडअलोन शोर प्रोटेक्शन कार्य शामिल नहीं हैं, केरल के एर्नाकुलम जिले के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सी वाल के निर्माण हेतु इस विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) एवं (ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के क्लाइमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजस (CRCFV) घटक का उद्देश्य केरल सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट के निकट स्थित मौजूदा 100 मछुआरा गांवों को क्लाइमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजस (CRCFV) के रूप में विकसित करना है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ मछुआरा गांव बनाया जा सके। यह स्थाई (सस्टेनेबल) आजीविका के अवसरों के सृजन, फिशरीस इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, मछुआरों के लिए सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने, मात्स्यिकी उद्यमिता को बढ़ावा देने और तटीय मत्स्यन गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से क्लाइमेट रेसीलिएन्स को बढ़ावा देने पर केंद्रित आवश्यकता-आधारित हस्तक्षेपों की परिकल्पना करता है। इस घटक के तहत, केरल को छह तटीय गांवों को स्वीकृति दी गई है जिसमें एर्नाकुलम जिले के दो गांव ञरक्कल और एडवनकाड़ शामिल हैं । गैप एनालिसिस स्टडी और राज्य से प्राप्त DPR के आधार पर, कुल 12 करोड़ रुपए की लागत से इन छह गांवों के विकास के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है और 3 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि अपेक्षित विशिष्ट परिवर्तनों और सुधारों में फिश मारकेटिंग को स्तरीय बनाने और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए स्वच्छ फिश मारकेट का निर्माण, सुरक्षित और कुशल मत्स्यन गतिविधियों के लिए मरीन सोलर-ग्रेड लाइटिंग की स्थापना, मछुआरिनों की आजीविका में सहायता प्रदान करने के लिए फिश वैंडिंग कियोस्क का वितरण, मत्स्य की उपलब्धता और जैव विविधता बढ़ाने के लिए खारे जल की जलकृषि को बढ़ावा देना और मौसम की चेतावनी, सुरक्षा उपायों और फिश कैच के रुझानों के लिए एक समर्पित मछुआरा सहायता केंद्र की स्थापना शामिल है।

(ड़): एर्नाकुलम जिले के दो गांवों को प्रशासनिक स्वीकृति जनवरी, 2025 में जारी कर दी गई है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि कार्य प्रगति पर है और एक वर्ष में पूरा हो जाएगा।

(च) और (छ): CRCFV का विकास PMMSY के केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक के तहत किया गया है, जिसमें प्रति मत्स्यन गांव की इकाई लागत 200 लाख रुपए है और पूरी लागत (100%) भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। परिव्य के आलोक में, विस्तृत गैप एनालिसिस स्टडी के माध्यम से प्रत्येक गांव के लिए आवश्यकता-आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर और आजीविका सहायता कार्यक्रमों की पहचान की जाती है और उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, CRCFV घटक के दिशानिर्देशों में विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं, कॉरपोरेट सोशियल रेस्पांसिबिलिटी (CSR) निधि और ऐसे अन्य स्रोतों के साथ अभिसरण के प्रावधान शामिल हैं ताकि परिणामों को अधिकतम किया जा सके और वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट [डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR)] के आधार पर, एर्नाकुलम जिले के दो गाँवों सहित छह गाँवों के विकास के लिए राज्य को कुल 12 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसकी दर 2 करोड़ रुपए प्रति गाँव है। इसमें से पहली किस्त के रूप में 3 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

*****